[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कल आखिरी घड़ी में मेरे सामने यह सुझाव रखा गया कि मैं यह प्रस्ताव वापिस लेकर दूसरा प्रस्ताव रखूं, जिसका समर्थन विरोधी दल के सस्दस्य करें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन चूंकि यह प्रस्ताव कार्य-सूची में सम्मिलित किया जा चुका था यह सुझाव मुझे उचित नहीं लगा कि उसे वापिस लेने के लिये मैं आपकी अनुमति प्राप्त करूँ और इस जटिल प्रक्रिया में उलझूं।

लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि इन मामलों के सम्बन्ध में कोई बड़ा मतभेद नहीं है। हम सब माननीय सदस्य के उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने के सम्बन्ध में सहमत हैं। प्रस्ताव में विरोधी दल के सदस्य के सहयोग का मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करता किन्तु उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में अलग रहना ही उत्तम समझा है। मुझे इस पर खेद है।

†**श्री एस० एल० सक्सेना** (जिला गोरखपुर—उत्तर) : मैं एक मिनिट बोलना चाहता हूँ·····

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आवश्यक नहीं है। इससे मतभेद पैदा होंगे।

मेरा विश्वास है कि सरदार हुक्म सिंह के मृदुल व्यवहार से लोक-सभा के सभी सदस्यों का सर्वानुमत समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। निर्वाचन सर्वसम्मत है। कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी मामलों के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसा लोक-सभा को विदित है हमें पिछले कुछ महीनों में भारत में अनेक विख्यात व्यक्तियों के स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भिन्न-भिन्न संस्कृति और विचारधारा तथा शासन पद्धति वाले देशों से सद्भावना-दूत बन कर यह अतिथि आये। हमने इन सब व्यक्तियों का स्नेह तथा सौहार्द के साथ स्वागत किया। यह स्वागत हमारी वैदेशिक नीति के प्रतीक होने के साथ ही हमारे देश और जनता की परम्परा के अनुरूप है। मैंने इस सब महानुभावों के साथ विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं और उस देश तथा भारत के परस्पर हितों से सम्बन्धित मामलों पर लम्बी और विस्तृत चर्चा की। मैं इस अवसर पर यह बताऊंगा कि यह वार्त्ता कितनी मूल्यवान थी और मुझे उनसे कितना लाभ हुआ है। निस्संदेह, यह आशा नहीं की जा सकती कि इन बातों के परिणामस्वरूप हमारे देश अथवा अन्य सम्बन्धित देश की विदेशी नीति में सहसा कोई परिवर्तन होगा। विदेश नीतियों का निर्माण और परिवर्तन इस प्रकार नहीं होता है। यह बातचीत स्पष्ट एवं अनौपचारिक वातावरण में हुई। इससे हमें तथा आगन्तुक महानुभावों को एक दूसरे का दृष्टिकोण भली प्रकार समझने का अवसर मिला है। अपने-अपने देशों की नीति का निर्माण एवं निर्देशन करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क को अच्छी प्रकार समझ पाये हैं। जिन मामलों पर हम सहमत नहीं हो पाये हमने एक दूसरे से भिन्न मत अपनाना स्वीकार कर लिया है। प्रस्तुत वक्तव्य में यह सम्भव नहीं है कि मैं इन चर्चाओं की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि का वर्णन करूँ अथवा उन सब समस्याओं की चर्चा करूँ जिन से विश्व पीड़ित है तथा जिनसे हम सम्बन्धित हैं। कदाचित्, थोड़े समय पश्चात् मैं इन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का निर्देश सभा के समक्ष करूँ। वर्तमान में मैं उन महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख करूँगा जिन पर माननीय अतिथियों के साथ हमने चर्चा की थी।

इन यात्राओं में से प्रमुख ब्रिटेन के विदेश मंत्री श्री सेलविन लायड, अमेरिका के विदेश सचिव श्री डलेस और फ्रांस के विदेश मंत्री श्री एम० पिनै हैं। हमने संसार के तीन प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों के रूप में उनका स्वागत किया तथा उनमें से प्रत्येक के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा की। तनाव कम करने एवं सब देशों का ध्येय—शान्ति की संवर्द्धि के लिये बातचीत की गई। इन राजनीतिज्ञों

---

†मूल अंग्रेजी में

के यहां आगमन का कारण कराची में सीटो परिषद् की बैठक थी। यह आश्चर्यजनक बात थी कि परिषद् ने एक सदस्य के कहने पर काश्मीर का विषय भी इस में सम्मिलित कर लिया और अन्तिम विज्ञप्ति में इस प्रश्न पर अपना निर्णय भी दे दिया। ऐसा करने में परिषद् ने उस संगठन के प्रति हमारी आशंकाओं की पुष्टि कर दी जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण-पूर्वी एशिया संधि का उद्देश्य जिसकी उन्होंने घोषणा कर रखी है वह संधि के सदस्य-देशों की बाहरी आक्रमण एवं आन्तरिक विध्वंसकारी कार्यवाहियों के प्रति रक्षात्मक शक्ति में वृद्धि करना है। सीटो परिषद् में काश्मीर के प्रश्न पर किस प्रकार विचार किया जा सकता है यह बात हमें स्पष्ट नहीं हुई। काश्मीर पर इसके निर्देश का केवल यही अभिप्राय हो सकता है कि एक सैनिक संधि एक देश का समर्थन कर रही है अर्थात् भारत के साथ विवाद में पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है। एक ऐसे देश के विरुद्ध हानिकारक कार्य करना जो संधि संगठन के अलग-अलग देशों के प्रति मैत्री रखता है हर समय अनुचित समझा जायेगा। इस मामले में एक पहलू और भी है। इस अपराधजनक घोषणा में राष्ट्रमण्डल के तीन देशों ने भी अपने आपको सम्बन्धित किया है, इससे हमें बड़ा खेद हुआ है, परिषद् के द्वारा स्वीकृत इस असामान्य प्रक्रिया पर हमने अलग-अलग देशों को विरोधपत्र भेज दिया है।

पाकिस्तान को अमेरिकी सैनिक सहायता के बारे में मैंने श्री डलेस से बातचीत की। मैंने उन्हें बताया कि इस सहायता से हम किस प्रकार चिन्तित हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो वातावरण है वह भारत के प्रति धमकियों एवं संकट से पूर्ण प्रतीत होता है। पाकिस्तान समाचार पत्रों में भारत की तीव्र आलोचना की जाती है और समय-समय पर उत्तरदायी नेताओं के विद्वेषपूर्ण वक्तव्य उनमें छपते रहते हैं। हाल में ही सीमा पर होने वाले कांड फिर बढ़ गए हैं। ये घटनायें जिस तेज़ी से और जिस विस्तृत क्षेत्र में हो रही हैं, उससे उनका महत्व और बढ़ गया है। इन बातों से इस देश में यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य चाहे जो कुछ हो, स्वयं पाकिस्तान में सैनिक शक्ति के अर्जन का प्रत्यक्ष परिणाम यह है कि इसका वहां पर इस दृष्टि से स्वागत नहीं किया जा रहा है कि उससे पाकिस्तान की किसी शक्तिशाली आक्रान्ता के विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक सामर्थ्य बढ़ जायेगी वरन् इसका इसलिये स्वागत किया जा रहा है कि अब उन्हें भारत के साथ अपने झगड़ों को ताकत से सुलझाने की आशा है।

हम भारतवासी पाकिस्तान का भला चाहते हैं। उसने हाल ही में अपने को गणराज्य घोषित किया है। और उसके इतिहास में एक नये अध्याय के आरम्भ होने पर हम अपनी शुभकामनायें उसे प्रकट करते हैं। हम अपने एक मंत्री को एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में कराची भेज रहे हैं। वह स्वयं वहां जाकर हमारी ओर से बधाई देंगे। हमारा इरादा यह नहीं है कि पाकिस्तान अथवा किसी अन्य देश से, प्रतियोगिता के लिये सामर्थ्यवान होते हुए भी, शस्त्रास्त्रों की होड़ शुरू की जाय। हमारी शक्तियां और साधन पूर्ण रूप से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में लगे हुए हैं और आने वाले बहुत से वर्षों में भी उन में लगे रहेंगे। हम में से कोई भी यह नहीं चाहेगा कि अपने सीमित साधनों के किसी भी भाग को शस्त्रास्त्रों पर अग्रेतर व्यय के लिये लगाया जाय। फिर भी भारत के भविष्य के लिये जो उत्तरदायी हैं उन्हें कुछ तथ्यों की ओर तो ध्यान देना ही होगा। मैं इस बात पर केवल खेद और निराशा ही प्रकट कर सकता हूँ कि ऐसे समय जब कि हम एशियावासियों की शक्ति विकास कार्यों पर लगनी चाहिये इस सैनिक सहायता से तनातनी और अस्थिरता बढ़ाने के लिये एक नई बात शुरू की गई है। मैंने इस सम्बन्ध में श्री डलेस के सामने भी अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं और मुझे आशा है कि अब वह हमारी भावनाओं को भली प्रकार समझ सकेंगे।

हाल की घटनायें सैनिक संधियों पर पुनः ध्यान केन्द्रित करती हैं। ये संधियां कम होने के बजाय बढ़ती सी प्रतीत हो रही हैं। पिछले वायदों, आश्वासनों और घोषणाओं के बावजूद ये संधियां जोर पकड़ती और फैलती सी प्रतीत होती हैं। सभी संधियों का यही इतिहास है और विशेषकर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संधि और बगदाद करार के सम्बन्ध में यह बात अधिक लागू होती है। पहली संधि का जन्म उस समय हुआ जब युद्धकाल के एक लम्बे काल के बाद दक्षिण-पूर्वी एशिया में शान्ति थी। तनाव कम हुआ और लोगों ने सामान्य परिस्थितियों की आशा की। निकट भविष्य में युद्ध की कोई संम्भावना नहीं थी, फिर भी राहत व आशा के उदय के ऐसे समय में यह संधि हुई और तुरन्त ही परिणाम यह हुआ कि तनाव बढ़ गया। अभी हाल में हुई बगदाद संधि ने पश्चिमी एशिया में फूट, असुरक्षा व असन्तोष पैदा किया है। इस प्रकार जिन उद्देश्यों के लिये ये संधियां हुईं वे ही समाप्त हो रहे हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि इन दोनों संधियों से और इसी प्रकार की सैनिक संधियों और गठजोड़ों से प्रदेशों की भीतरी प्रतिरक्षात्मक शक्ति नहीं बढ़ती है जिसके लिये कि वे की जाती हैं।

किसी भी गुट द्वारा सैनिक संधियों के होते हुए निशस्त्रीकरण सम्बन्धी बातचीत और युद्ध के लिए अग्रेतर तैयारियां असंगत हैं और स्वीकृत प्रयोजनों की खिल्ली उड़ाना है। यदि नीतियों में परिवर्तन करने से सामान्य भलाई होती हो और ऐसा करना शान्ति के हितों में हो तो चाहे बड़े राष्ट्र उनमें लिप्त क्यों न हों, नीतियों में परिवर्तन के लिये सदैव समय है। जहां पर अब तनातनी है वहां सैनिक संधियों और दो शक्तियों के मुकाबले से खिंचाव कम नहीं हो सकता और शान्ति और स्थिरता पुनः स्थापित नहीं की जा सकती है। हमारा यह विश्वास है और प्रत्येक नए अनुभव के साथ हमारे इस विश्वास में अग्रेतर दृढ़ता आती जाती है कि पंचशील के नाम से प्रख्यात पांच सिद्धान्तों पर चल कर और उन पर कायम रह कर ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और स्थिरता के एक नए युग का उदय हो सकता है।

अणुशक्ति ने और इसके फलस्वरूप तैयार होने वाले खतरनाक शस्त्रों ने न केवल सैनिक मामलों में बल्कि अन्य मामलों में भी पहले विचारों को बेकार बना दिया है। इसलिये विचारशील लोगों ने और राष्ट्रों के नेताओं ने युद्ध का विरोध किया है। इस नई स्थिति में शीत युद्ध के विचार से चिपके रहने में कोई तुक नहीं है। हमने बार-बार कहा है कि परमाणविक व उद्जन बमों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये और अणुशक्ति का प्रयोग केवल मानवता के हित के लिये होना चाहिये। इसका नियंत्रण बड़े राष्ट्रों के हाथों में न हो। यदि युद्ध का विरोध किया जाता है तब शीतयुद्ध अतर्कसंगत और हानिकारक बन जाता है, यह केवल घृणा और भय और सदैव रहने वाले खतरे को एक परमाणविक युद्ध में परिवर्तन करने का वातावरण ही बनाए रख सकता है।

मैंने गोआ के सम्बन्ध में भी श्री डलेस से बातचीत की थी। जैसा कि लोक-सभा को विदित है, कुछ सप्ताह पूर्व श्री डलेस व पुर्तगाली विदेश मंत्री श्री कुन्हा ने गोआ पर एक संयुक्त वक्तव्य दिया था जिससे सारे भारत में नाराजगी की एक गहरी भावना फैल गई थी। हमने तुरन्त ही इस मामले को अमेरिका सरकार के सामने रखा और उन्हें समझाया कि गोआ की वर्तमान स्थिति के प्रसंग में अमेरिका के विदेश मंत्री का ऐसा वक्तव्य देना कहां तक उचित था। इससे तो पुर्तगाल को निकृष्ट कोटि के उपनिवेशवाद की नीति पर चलने के लिये प्रोत्साहन मिलता है। मैंने उस समय लोक-सभा को बताया था कि मैं इस विषय पर अमेरिका सरकार से हुआ पत्रव्यवहार सभा-पटल पर रखूंगा। आज मैं वह पत्र व्यवहार लोक-सभा पटल पर रख रहा हूँ और माननीय सदस्यों को हमारे पत्र व अमेरिका के उत्तर देखने का अवसर मिलेगा। **[देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६]**

मेरे साथ वार्ता के दौरान में श्री डलेस ने मुझे विश्वास दिलाया था कि संयुक्त वक्तव्य निकालने का अर्थ अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध पुर्तगाल का समर्थन करना नहीं था। हम भी वास्तव में इस आश्वासन पर संदेह नहीं करते हैं लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी है कि संयुक्त विज्ञप्ति का अर्थ, विशेष रूप से पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा यह लगाया जा रहा है कि अमेरिका पुर्तगालियों के दावों का समर्थन करता है। हमने अमेरिका के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। और मैं पुनः यहां कहूँगा कि किसी भी हालत में हम भारतीय भूमि पर पुर्तगाली उपनिवेशवाद के अन्तिम चिन्हों को सहन नहीं करेंगे। हमने धैर्य से काम लिया है और लेते रहेंगे। **(श्री वी० जी० देशपांडे : क्यों ?)**

परन्तु इस मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। मुझे अब भी आशा है कि मित्र देश पुर्तगाल को यह समझायेंगे कि १६वीं शताब्दी के उपनिवेशवाद की नीति को २०वीं शताब्दी आधी बीत जाने पर भी जारी रखना बुद्धिमत्ता नहीं है।

पश्चिमी एशिया में स्थिति के सम्बन्ध मे मैंने तीनों मंत्रियों से विस्तृत रूप से बातचीत की थी। सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह स्थिति बहुत ही नाजुक है। मैं इस कठिन समस्या के तुरन्त समाधान के लिये कोई मंत्रणा नहीं देना चाहता। इसके साथ ही मुझे इस बात में भी कोई सन्देह नहीं है कि खिंचाव में शनैः शनैः ढील होने से ही समाधान निकल सकता है। यहां पर भी पश्चिमी एशिया में जो वर्तमान झगड़ों के कीटाणु फूट निकले हैं उनके लिये कुछ सीमा तक बगदाद संधि उत्तरदायी है। इसने अरब एकता को तितर-बितर कर दिया है और इस प्रकार जो समस्या पहले से जटिल थी उसे और भी जटिल बना दिया है।

मैंने इन्डोचीन की स्थिति पर तीनों विदेश मंत्रियों से और ब्रिटेन के विदेश मंत्री से जो जेनेवा सम्मेलन के सह सभापति हैं, विशेषरूप से चर्चा की थी, जेनेवा राष्ट्रों के निमन्त्रण पर जब हमने इन्डोचीन में तीन अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों का सभापतित्व स्वीकार किया था, तो हमने ऐसा इस आशा से किया था कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के इस झगड़े वाले प्रदेश में जो कि हमारे इतने निकट है और जिससे हमारे कितने ही प्राचीन व एतिहासिक सम्बन्ध हैं, स्थायी रूप से अन्त में शान्ति स्थापित हो सकेगी। अब ऐसा मालूम देता है कि जेनेवा की अन्तिम घोषणा में वियतनाम के दो भागों के एकीकरण के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में चुनावों के सम्बन्ध में जो समय अनुसूचित किया गया था वह अब पूरा होता दिखाई नहीं देता है। इसलिये जहां तक इस स्थिति का हम से सम्बन्ध है हम उस का पुनर्विलोकन करने के लिये विवश हैं। हम अपने उत्तरदायित्व से भागना नहीं चाहते या ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते जो किसी शान्तिमय समझौते में बाधक बन जाये। इसलिये हमने दो सह-सभापतियों को यह सुझाव दिया है कि वे स्थिति का पुनर्विलोकन करें और जेनेवा करार के पालन के लिये क्या कार्यवाहियां की जानी चाहियें इसका निर्णय करें, मुझे आशा है कि दोनों सह-सभापति मिलकर वर्तमान स्थिति पर विचार करेंगे।

तीनों विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत में पूर्वी एशिया की वर्तमान स्थिति, विशेषतया क्विमोय व मात्सू तथा ताइवान की स्थिति पर भी विचार किया गया। मैंने उन्हें फिर एक बार बताया कि हमारे दृष्टिकोण से पूर्वी एशिया में झगड़े का मूल कारण एक स्पष्ट तथ्य की अवहेलना करना है। वह तथ्य है नए चीन का उदय, एकीकृत चीन जैसा कि वह अपने इतिहास में पहले कभी नहीं था, शक्तिशाली और अपने अधिकारों और गौरव से चेतन, मेरे विचार में जब तक चीन लोक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र में स्थान नहीं दिया जाता तब तक पूर्वी एशिया की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। विशेष रूप से मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि जब तक क्विमोय व मात्सू आक्रमणकारी सेनाओं के हाथों में रहते हैं तब तक चीन अपने को कभी सुरक्षित नहीं समझेगा। इसलिये प्रथम आवश्यक कार्यवाही इन द्वीपों से उन सेनाओं को हटाना होगा जिससे वे मुख्य भूमि के भाग बन जायें। ताइवान का मामला तब भी रह जायेगा परन्तु मेरा विश्वास है कि यदि तटीय द्वीप चीन को लौटा दिये जायें तो ताइवान की समस्या कुछ आसानी से हल की जा सकेगी।

जेनेवा में अमेरिका और चीन के राजदूतों के बीच बातचीत किस प्रकार चल रही है इस प्रसंग में हम उस बातचीत को बड़ी दिलचस्पी से देखते-भालते रहे हैं। दोनों पक्षों ने मोटे तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि उन्हें अपने झगड़ों को शान्तिमय वार्तालाप के द्वारा निबटाना चाहिये। अब मुख्य कठिनाई इस सिद्धान्त को ताइवान के विशिष्ट मामले पर लागू करने के सम्बन्ध में है। हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में भी एक सन्तोषजनक सूत्र ढूंढ लिया जायेगा और फिर अन्य अवशिष्ट विषयों पर बातचीत के लिये भी रास्ता तैयार हो सकेगा जिनमें दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक का होना भी है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उत्तरी अफ्रीका के सम्बन्ध में श्री पिने से जो मेरी बातचीत हुई थी उसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। हम भारत में फ्रांस की उन कार्यवाहियों की प्रशंसा व स्वागत करते हैं जिनके अनुसार उसने मोरक्को व ट्यूनिसिया को सम्पूर्ण प्रभुता देने का निर्णय किया है। अल्जीरिया की जटिल समस्या शेष रहती है। मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि श्री पिने स्थिति को यथार्थिक दृष्टि से देखते हैं। वहां की समस्या लगभग साढ़े बारह लाख यूरोपियनों के वहां रहने से और भी जटिल बन गई है जो कि वहां कुछ पीढ़ियों से बस गए हैं। मेरे विचार में सदन नहीं चाहेगा कि मैं इस बातचीत के और आगे विस्तार में जाऊँ। मुझे आशा है कि अल्जीरिया की समस्या भी फ्रांसीसी व अल्जीरियन जनता की पारस्परिक इच्छा के अनुसार सुलझ जायेगी।

श्री पिने के दिल्ली पहुँचने से कुछ ही पहले, फ्रांस सरकार से, भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के वैधानिक हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सन्धि का प्रारूप हमें प्राप्त हुआ था। इस प्रारूप पर करार के सम्बन्ध में हमें कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती और मुझे आशा है कि वैधानिक हस्तान्तरण का कार्य शीघ्र पूरा हो जायेगा।

यदि उद्देश्य शान्ति स्थापित करना है तो उस के लिये निःशस्त्रीकरण अनिवार्य है। प्रत्येक कठिन प्रश्न की भांति सम्भवतः कदम-कदम करके आगे बढ़ना सुगम होता है। संयुक्त राष्ट्र के निःशस्त्रीकरण आयोग की एक उपसमिति की बैठक लन्दन में हो रही है और इस विषय पर काफ़ी हद तक करार भी हो गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश विश्व में अभी भी तनाव बढ़ रहा है और इससे निःशस्त्रीकरण के पक्ष में अनुकूल वातावरण नहीं बन पाता और तब भी घातक एवं संहारक शस्त्रास्त्रों का निर्माण एवं संग्रह जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उसे देखते हुए यह अनिवार्य प्रतीत होता है कि निःशस्त्रीकरण किया जाय। हमारी मांग है कि उद्जन बम एवं अणुबमों के उत्पादन, प्रयोग और परीक्षणों पर बिना शर्त प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये परीक्षात्मक विस्फोट स्थगित किये जायें और शस्त्रीकरण विराम संधियां की जायें।

मैं इस अवसर पर हाल के ही सप्ताहों मे हुई एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना की ओर लोक-सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मास्को में हाल में सोवियत संघ की कम्यूनिस्ट पार्टी का बीसवां अधिवेशन हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि इस अधिवेशन ने एक नई लीक और एक नई नीति अपनाई है। यह नई नीति राजनैतिक विचारों से और व्यावहारिक नीति से, दोनों दृष्टिकोणों से, संसार की वर्तमान स्थिति की अधिकाधिक वास्तविक सराहना पर आधारित प्रतीत होती है और अनुकूलन तथा समायोजन की एक सार्थक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। अपने सिद्धान्तों के अनुसार हम अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जैसे कि हम अपने घरेलू मामलों में दूसरों का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते हैं। परन्तु किसी भी देश में कोई भी महत्वपूर्ण घटना, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर चलने के लिये अनुकूल वातावरण स्थापित करने की दिशा में एक पग मालूम दे, वह हमारे लिये और दूसरों के लिये भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हम सोवियत संघ के बीसवें अधिवेशन के निर्णयों के सम्बन्ध में यह महसूस करते हैं कि इन के दूरगामी प्रभाव होने की आशा है, मुझे आशा है कि इस परिवर्तन से संसार के तनाव में अग्रेतर कमी होगी।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कल अपनी संसद् में जो भाषण दिया था उसकी मैं संक्षेप मे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। इस भाषण पर विचार व्यक्त करने से पूर्व मैं उसकी संपूर्ण और अधिक अधिकृत रिपोर्ट प्राप्त होने की सामान्यतया प्रतीक्षा करूँगा परन्तु क्योंकि मैं आज अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ इसलिये मैं समझता हूँ कि मुझे इस सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहिये।

मैंने इस भाषण की संक्षिप्त रिपोर्ट खेद और आश्चर्य के साथ पढ़ी है। चौधरी मुहम्मद अली क्रोध में बोले हैं और कुछ वक्तव्य ऐसे दिये हैं जो स्पष्ट रूप से गलत हैं। उन्होंने कहा है कि भारत

पाकिस्तान के विरुद्ध भय एवं घृणा का प्रचार कर रहा है और उसने पाकिस्तान के विरुद्ध घृणा का वातावरण तैयार कर लिया है। इस सम्बन्ध में भारतीय और पाकिस्तानी प्रैस की तुलना आसानी से की जा सकती है और भारत तथा पाकिस्तान के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा दिये गए वक्तव्यों को सुगमता से मिलाया जा सकता है।

पाकिस्तान में भारत पर काफ़ी समय से विषमय आक्षेप किये जा रहे हैं और जिहाद के लिये बारम्बार अपील की जाती है। क्या भारत में किसी उत्तरदायी व्यक्ति या समाचारपत्र ने युद्ध की कभी कोई बात की है या घृणा जैसी कोई बात कही है? अभी तक भारत में पूर्वी पाकिस्तान से विशाल संख्या में प्रव्रजक चले आ रहे हैं और उनका आना बन्द नहीं हुआ है। यह हम पर एक भारी बोझ है और गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः हमने उनका ध्यान इसकी ओर और उन कारणों की ओर जो लोगों को अपने मकान और रहने-सहने की जगहों और भूमियों को छोड़ने और एक अन्य देश में पनाह लेने पर मजबूर करते हैं, आकृष्ट किया है।

श्री मुहम्मद अली ने हाल की सीमा घटनाओं की चर्चा की है और कहा है कि वे भारत द्वारा की गई थीं और इनमें से प्रत्येक घटना में भारतीय पक्ष की ओर से आक्रमण किया गया था। इस प्रकार के झूठे वक्तव्य का प्रतिवाद करने में मुझे जरा भी कठिनाई नहीं होगी।

जितना हमें मालूम है मैं इन घटनाओं की लम्बी सूचियां दे सकता हूँ। और उनके पीछे जो तथ्य हैं वे दे सकता हूँ और कोई भी निष्पक्ष प्राधिकारी उनकी जांच करके निर्णय कर सकता है। मैं यहां केवल एक ही सुविदित घटना की चर्चा करूँगा क्योंकि उस मामले में एक निष्पक्ष प्राधिकारी ने जांच की थी और देखभाल कर अपना निर्णय दिया था। वह जम्मू सीमा पर हुई नेकोवाल घटना है। संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों ने इसकी जांच पड़ताल की थी और स्पष्टरूप से यह बताया था कि दोष किसका है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने हमें सर्व सामान्य रीति से आश्वासन दिया था कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों के निर्णय का पालन करेंगे और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा देंगे। हम उस आश्वासन के पूरे होने की अभी तक राह देख रहे हैं। हमने कई बार लिखा परन्तु उसका कुछ भी फल नहीं निकला।

श्री मुहम्मद अली ने कहा है कि उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और कुछ सुझाव दिये थे और उन्हें मेरी ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। यह ठीक है। परन्तु उनका संदेश मुझे परसों रात मिला था। उस पर विचार करने के लिये हमें केवल एक ही दिन मिला है। उसका शीघ्र उत्तर भेजने की हमें आशा है। अपने संदेश में श्री मुहम्मद अली ने भारत पाकिस्तान सीमांकन के लिये ११ और १२ मार्च, १९५५ को संयुक्त संचालन समिति की बैठक में किए गए एक निर्णय की चर्चा की है और इस निर्णय को कार्य रूप में परिणत करने में विलम्ब का आरोप स्पष्टरूप से भारत पर लगाया है, मई, १९५५ में हमारे गृह-कार्य मंत्री ने पाकिस्तान के गृह-कार्य मंत्री के साथ एक बैठक में इस निर्णय पर अग्रेतर विचार किया था उनमें एक करार हुआ था जिसे पंत-मिर्ज़ा करार कहा जाता है। पाकिस्तान सरकार ने दिसम्बर, १९५५ के अन्त तक इस करार के अनुसमर्थन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की और इस करार में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया जो व्यवहारिक रूप में करार में काफी फेरबदल करते थे। तथापि भारत-पाकिस्तान सीमांकन के लिये मैं प्रधान मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ और हम इस पर तुरन्त ही कार्य करने के लिये तैयार हैं।

श्री मुहम्मद अली ने अपने भाषण में सुझाव दिया है कि भारत और पाकिस्तान को यह घोषणा करनी चाहिये कि वे एक दूसरे से कभी युद्ध नहीं करेंगे। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम गत कई वर्षों से भारत और पाकिस्तान द्वारा युद्ध न करने की घोषणा करने का सुझाव देते रहे हैं। तथापि हमारे प्रस्ताव को पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। मुझे प्रसन्नता है कि श्री मुहम्मद अली अब इस प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहे हैं और हम खुशी से इस विषय पर अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष से बढ़कर और कोई मूर्खता नहीं हो सकती है । हमने दोनों देशों में मित्रता की भावनाएं पैदा करने की कोशिश की है और मुझे विश्वास है कि बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद आज भी भारतीय जनता और पाकिस्तान की जनता के बीच अत्यधिक मित्रता है। सैनिक कार्यवाहियों से या युद्ध की धमकियों से या तथा कथित ताकत से झगड़े सुलझाने की धमकी से हम कभी भी एक दूसरे के निकट नहीं आयेंगे। इस अणुबम के संसार में भारत और पाकिस्तान दोनों शक्तिहीन हैं। परन्तु हम अन्य क्षेत्रों में, मित्रता में, सहयोग में और अपनी जनता का स्तर ऊंचा उठाने में, शक्ति का विकास कर सकते हैं। मैं अत्यन्त सद्भावना से और गम्भीरता से पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को पंचशील का सिद्धान्त प्रस्तुत करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम इन पांच सिद्धान्तों के आधार पर एक दूसरे से व्यवहार करें तो भय और संदेह का भूत भाग जायेगा ।

स्थगन-प्रस्ताव

हुसैनिवाला हैडवर्क्स पर भारतीय सैनिक टुकड़ियों में मुठभेड़

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं स्थगन-प्रस्ताव पर जिस की मैंने अभी चर्चा की थी—अपनी सम्मति नहीं देता ।

जीवन बीमा निगम विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा जीवन बीमा निगम विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा प्रारम्भ करेगी । श्री एच० जी० वैष्णव अपना भाषण जारी रखेंगे । परन्तु, इससे पहले कि श्री एच० जी० वैष्णव अपना भाषण प्रारम्भ करें, माननीय प्रधान मंत्री हुसनिवाला की सीमा-घटनाओं सम्बन्धी ब्योरा सभा-पटल पर रख दें ।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

हुसैनिवाला की सीमा-घटनाओं के बारे में संक्षिप्त तथ्य कथन

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चूंकि सभा हुसैनिवाला की हाल की सीमा-घटनाओं के सम्बन्ध में ठीक-ठीक बातें जानना चाहती है, मैं सभा-पटल पर इन घटनाओं से सम्बन्धित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण रखता हूँ। मैं इसे पढ़ कर सभा का समय नहीं लेना चाहता । [**देखिए परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७**]

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे परिचालित कर दिया जायेगा और सब सदस्यों को एक-एक प्रति भेज दी जायेगी ।

जीवन बीमा निगम विधेयक

†**श्री एच० जी० वैष्णव** (अम्बड़) : मैं कल खंड १० के सम्बन्ध में यह बता रहा था कि उप खंड (१) के सम्बन्ध में जो आश्वासन दिये जा रहे हैं वे उपखंड (२) से बेकार हो जाते हैं। यही कारण है कि सर्वत्र कर्मचारियों के मन में आशंका उत्पन्न हो गई है। इसके अतिरिक्त ये उपबन्ध केवल उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जो बीमा कम्पनियों के पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। परन्तु सच यह है

†मूल अंग्रेजी में